

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 349]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 अगस्त 2016—श्रावण 28, शक 1938

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2016

क्र. 6812-2016-तेरह.—राज्य सरकार, एतद्वारा केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत् आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 (यथा संशोधित) के विनियम 5 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए विभाग की अधिसूचना क्रमांक 8560-2015-तेरह, दिनांक 14 अगस्त 2015 की प्रथम कंडिका के तीसरे परन्तुक में वाक्यांश “एक वर्ष की अवधि” के स्थान पर वाक्यांश “दो वर्ष की अवधि” स्थापित करती है.

No. 6812-2016--XIII.—State Government in exercise of powers conferred by regulation 5A of Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010 (as amended), hereby substitutes phrase “period of two years” for the phrase “period of one year” in the third proviso of first paragraph of Notification No. 8560-15-XIII, dated 14th August, 2015 issued by the department.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केशरी, प्रमुख सचिव.